महत्वपूर्ण

संख्याः 418 /9–7–13–07 वि0प0या0समिति/2012

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) **समस्त मण्डलायुक्त,**
उत्तर प्रदेश।

(2) **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश

(3) **समस्त नगर आयुक्त,**
नगर निगम,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–7 लखनऊ दिनांकः 13.2. 2013

विषय : नगर निगमों की बैठकों में मा0 सांसद एवं मा0 सदस्य, विधान सभा/विधान परिषद के बैठने का स्थान निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विधान परिषद की विकास प्राधिकरणों, आवास विकास परिषद, जिला पंचायतों एवं नगर निगमों में व्याप्त अनियमितताओं पर अंकुश लगाये जाने सम्बन्धी मा0 समिति की साक्ष्य बैठक दिनांक 27.12.2012 में यह संज्ञान में लाया गया है कि नगर निगमों की बैठकों में मा0 सांसद एवं मा0 सदस्य, विधान सभा/परिषद के बैठने का स्थान पूर्व से निर्धारित न रहने के कारण मा0 सदस्यों को असुविधा होती है।

2. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में पूर्ण रूप से इस बात का ध्यान रखा जाये कि नगर निगमों की बैठकों में मा0 सांसद एवं मा0 सदस्य विधान सभा/परिषद के बैठने का स्थान पूर्व से ही निर्धारित रहना चाहिये जिससे मा0 सदस्यों को अपना स्थान ग्रहण करने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव

----2/-

संख्याः 418(1)/9—7—13—07 वि0प0या0समिति/2012, दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

(1) निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय,उ0प्र0,लखनऊ को इस आशय से कि कृपया समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत को उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु स्वयं के स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

✓(2) प्रभारी, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, नगर विकास विभाग को इस आशय से कि कृपया इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(उमाकान्त पाठक)
अनुसचिव